समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आज 10 जुलाई षिनवार नेषनल लोक अदालत का को आयोजन संपित्तिकर एवं जलकर की बकाया राश जमा करने पर अधभार (सरचार्ज) की राश में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया रा श

रतलाम 9 जुलाई। राष्ट्रीय व धक सेवा प्रा धकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया रा श जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में श वर का आयोजन कार्यालयीन समय में कया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 50ए०००६ ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 10ए०००६ ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजार) से अधक तथा रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 10ए000६ से अधक तथा रूपये 50ए000६ तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) से अधक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 50ए000६ से अधक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वत्तीय वर्ष 2020.21 तक की बकाया रा श पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 1060762021 की नेशनल लोक अदालत के लये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है क 7 जुलाई 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित श वर में उपस्थित होकर बकाया रा श जमा कराकर दी जा रही अधभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें। आयोजित श वरों में मास्क लगाना व सोश्यल इसटें सग का पालन करना अनिवार्य होगा।

कोर्ट परिसर में आज बनेंगे आयुष्मान कार्ड हितग्राही आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित होंवे निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत ने ली बैठक रतलाम 9 जुलाई। आयुष्मान भारत ष्विनरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड 10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अ भषेक गेहलोत ने नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर लक्ष्य पुरा करने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत ने निर्दे शत कया क आयुष्मान से वं चत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित श वर में अपने-अपने वार्डो के हितग्राहियों को आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ पंहूचाने का कार्य पुरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करें क्यों क यह शासकीय कार्य होने के साथ पुण्य का कार्य भी है।

आयुष्मान कार्ड से वं चत पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित आयुष्मान कार्ड वशेष शवर में आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित होकर

अपना पंजीयन करवाकर आयुष्मान कार्ड बनावें। आयोजित श वर में मास्क लगाना व सोश्यल इसटें सग का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदारए वकास मरकामए मनीष तिवारीए ब्रजेश कुशवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए अनिता ठाकुरए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहराए आंगनवाड़ी सुपरवाईजर व नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे। नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें रतलाम ९ जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री क्मार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधक लोग इके नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 09 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 09 जुलाई को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर अनिलए लखन पाटीदारए सुरभी स्टेशन रोडए अनिल मश्राए कृष्णा बैरागीए श्रीराम में डकल स्टोरए कपील डालू मोदी बाजारए श्रीराम फुट वयर सैलाना बस स्टैण्डए जगदीश नाहरपुरा चौराहाए सुरेशए कुलदीप व संजू पाटीदार अलकापुरी चौराहा पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन 9 जुलाई को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 09 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 09 जुलाई गुरूवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

09 जुलाई शुक्रवार को डम्पर व टे क्टर ट्रॉली से 43030ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20205ए काम्पेक्टर गीला कचरा 12820 व मैजिक 2230 कलो इस तरह कुल 78285 कलो कचरा जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया। कार्य नहीं कया तो नहीं होगा वेतन भ्गतान

प्रतिदिन कये गये कार्य के व्हाट्स एप पर देना होंगे फोटो

रतलाम 09 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्दे शत कया है क वार्डो में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन कये जा रहे कार्यो की फोटो पृथक-पृथक शफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप पर भेजंे फोटो के आधार पर ही संबंधत कर्मचारी का वेतन भुगतान कया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्दे शत कया क वार्डो में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वतीय शफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन कया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भगतान कया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के ल पक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5ः30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्दे शत कया है क वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधत के वरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के मा लयों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द् वतीय शफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होने निर्दे शत कया क जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

1054 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 09 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 9 जुलाई तक शहर के वभन्न क्षेत्रों से 1054 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की वभन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 9 जुलाई को धानमण्डीए चौमुखी पुलए घांस बाजार आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजिनक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमित के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500% वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए०पी० संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथकपृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत
कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा
जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता
तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री
झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे
प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका
है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डी में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार रज.सं. व. हेमन्त ∕०९ण्०७७७७८१६न.पा.निगमए रतलाम.